संख्या– 167 /8–8–2017–70काम्प/2005टी.सी.

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम/प्रभारी अधिकारी
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांक 05 मई, 2017

विषयः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–2029/8–3–2005–70काम्प/2005 दिनांक 13.05.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर किये गये कब्जों तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जहां एक ओर शहरों का नियोजित विकास प्रभावित हो रहा है वहीं दूसरी ओर सड़कों, फुटपाथों एवं पार्किंग क्षेत्रों के दुरूपयोग से यातायात एवं सामान्य जनजीवन में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुये अतिक्रमण/अवैध निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जों/निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध रूप से अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जे की भूमि को मुक्त कराने के लिए निम्नवत कार्यवाही अविलम्ब करने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) अधिकतम मूल्य की व महत्वपूर्ण मार्गों, चौराहों एवं स्थलों पर सार्वजनिक भूमि पर किये गये ऐसे अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण, जो वृहद स्तर के हों एवं जिनके हटाने से शासन की मंशा के संबंध में स्पष्ट संदेश जा सके, उन्हें प्रथम वरीयता पर लिया जाय व अवैध कब्जे हटाकर स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग व अन्य शासकीय भूमि को तत्काल कब्जा दिलाया जाए।

(2) राष्ट्रीय राज्य मार्गों, राज्य मार्ग तथा नगरीय क्षेत्रों के अन्य मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ इत्यादि पर किये गये अनधिकृत निर्माण को भी वरीयता दी जाय।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अनधिकृत अवैध निर्माण, जिनके संबंध में नगर निगम, नगर निकाय, प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग इत्यादि

विभागों से सक्षम स्तर पर बिना अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त किये अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये हों उनके संबंध में भी प्राथमिकता पर कार्यवाही की जानी है **उदाहरणार्थः–**

(क) महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विपरीत निर्माण किया गया हो।

(ख) जिनमें कोई भी मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त न की गयी हो अथवा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर अशमनीय निर्माण किया गया हो।

(ग) सेटबैक का व्यापक एवं अशमनीय उल्लंघन किया गया हो।

(4) सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरूद्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन तथा अन्य विभागों, परिषदों अथवा निगमों/निकायों के सुसंगत अधिनियमों में निहित प्रकियानुसार कार्यवाही की जाये।

3– अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का समुचित रख–रखाव एवं उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि पुनः उस भूमि पर अतिक्रमण न होने पाये। मुक्त करायी गयी भूमि की फेन्सिंग, बाउड्री वाल इत्यादि बनाकर एवं अपेक्षित विकास करके विभागीय नीति के अनुसार त्वरित गति से उपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं मुक्त करायी गयी भूमि का उपयोग/निस्तारण कर संसाधनों में वृद्धि की जाय।

इसी प्रकार सड़क व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के पश्चात सम्बंधित अभिकरण/विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करा दिया जाय ताकि पुनः अतिक्रमण की संभावना न रहे। संबंधित पुलिस थाने को अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण प्रेषित कर दिया जाय ताकि संबंधित विभाग द्वारा अवमुक्त करायी गयी भूमि का समुचित उपयोग/निस्तारण हो जाने तक यथावश्यक पुलिस की सहायता प्राप्त कर उसकी अभिरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4– अतिक्रमण/अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए नगर को 'जोन्स' में बांटकर उसके लिए समुचित स्तर के वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय। उक्त अधिकारियों के नियंत्रण में क्षेत्र स्तरीय अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा अन्य समकक्षीय विभागीय अधिकारियों को अतिक्रमण/अवैध निर्माण रोकने के लिये उत्तरदायी बनाया जाय एवं स्पष्ट रूप से सड़क की लम्बाई, वार्ड अथवा सेक्टर्स चिन्हित कर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाय। यह लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया जाय कि अतिक्रमण/अवैध निर्माण होने की दशा में उपरोक्त अधिकारियों तथा निर्धारित क्षेत्र/जोन में तैनात अन्य संबंधित समस्त अधिकारी/कर्मचारी अतिक्रमण हेतु दोषी पाये जाने पर दण्डित किए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26–घ में अतिक्रमण को न रोकने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बंध में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है:–

> "जो कोई इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम, नियमावली अथवा उपविधि के अन्तर्गत अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने के विशेष कर्तव्य के अधीन होते हुए ऐसे अतिक्रमण अथवा अवरोध को रोकने अथवा मना करने में जानबूझकर अथवा आशयपूर्वक उपेक्षा करेगा अथवा जानबूझकर लोप करेगा, साधारण करावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।"

जोनल स्तर के उत्तरदायी अधिकारी चिन्हित अवैध निर्माणों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करायेंगे और उक्त अभिलेख दिन–प्रतिदिन के आधार पर "अपडेट" किये जायेंगे जिसे उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा। अभिलेखीकरण हेतु फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं कम्प्यूटरीकरण की प्रचलित विधाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाय एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं अभिलेखों से छेड़–छाड़ न किये जाने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध इस अभियान का समग्र समन्वय एवं मानीटरिंग मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। उनके स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं उसके पश्चात अवमुक्त करायी गयी भूमि के विभागीय/शासकीय हित में समुचित निस्तारण इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर प्रभावी कार्य योजना मण्डलायुक्त द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

मण्डलायुक्त द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही हेतु उत्तरदायी नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर उत्तरदायी बनाया जायेगा एवं अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने के इस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा एवं संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– नगर निगमों के नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आवास आयुक्त, अपर आवास आयुक्त व निकायों व अन्य विभागों के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं मण्डलायुक्त को यथापेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

अभियान के दौरान मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण यथा–क्षेत्रफल, अनुमानित मूल्य, कब्जे की प्रकृति इत्यादि का विवरण आयुक्त के माध्यम से संकलित कराकर शासन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन आवास बन्धु को उनके ई–मेल/फैक्स के माध्यम से **संलग्न प्रारूप** पर अपर निदेशक(नियोजन), आवास बन्धु को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिदिन के आधार पर उक्त सूचना प्रतिदिन 5.00 बजे तक उपलब्ध करायी जायेगी।

7– आवास बन्धु स्तर पर सूचनाओं का साप्ताहिक संकलन कर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को अगले सप्ताह के प्रथम कार्य दिवस (सोमवार) पर प्रस्तुत की जायेगी, जो प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की टिप्पणी के साथ मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी।

8– सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उपरोक्तानुसार कार्ययोजना बनाकर युद्धस्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाय। यथासम्भव प्रत्येक दशा में 15 दिन में सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाय।

9– अवैध निर्माण/सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त आवश्यक सहयोग एवं पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा।

10– अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के सम्बंध में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये कठोर निर्देशों के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय ताकि नगरों के सुनियोजित विकास की संकल्पना साकार हो सके एवं विभागीय एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण करने वाले अवांछनीय तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इससे न केवल बहुमूल्य शासकीय भूमि अवमुक्त करायी जा सकेगी वरन् सामान्य जन को भी बेहतर नगरीय जीवन सुलभ हो सकेगा एवं शासन तथा संबंधित विभागों की सामान्य छवि एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठा में भी अपेक्षित सुधार हो सकेगा।

11– अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाकर सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने की उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जायेगी एवं उपरोक्त क्रिया–कलाप में किसी भी प्रकार की विभेदकारी प्रवृत्ति नहीं अपनायी जायेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
10. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
12. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
13. नियंत्रक प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
15. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन।
16. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सदा कान्त)
अपर मुख्य सचिव

अतिक्रमित/अनधिकृत कब्जे से प्रभावित/मुक्त करायी गयी भूमि का विवरण

विभाग का नाम :

दिनांक :
मण्डल :
जनपद :

क्र. सं.	अनधिकृत कब्जे से प्रभावित भूमि का विवरण					अनधिकृत कब्जे से भूमि मुक्त कराने का लक्ष्य/कार्यवाही				अभ्युक्ति
	भूमि की स्थलीय स्थिति	भूमि की प्रकृति एवं अनुमन्य भू–उपयोग	भूमि की कब्जे की प्रकृति (अस्थाई या स्थाई)	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	भूमि का मूल्य (रू. लाख में)	अनधिकृत कब्जे की कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आलोच्य तिथि तक मुक्त कराई गयी भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अवमुक्त कराई गयी भूमि का मूल्य (रू. लाख में)	अवमुक्त कराई गयी भूमि की सुरक्षा/ निस्तारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मण्डलायुक्त .....

नाम मण्डल .....